

शब्दावली

| | |
|----------------|---|
| एआरसीआईएल | एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अधिग्रहण पर नान परफार्मिंग एसेट (एनपीए) के समाधान का व्यवसाय प्रारंभ करने वाली भारत की पहली और सबसे बड़ी परिसम्पत्ति पुनर्गठन कम्पनी है। यह प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों नामतः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई), आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (आईसीआईसीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा प्रायोजित है। |
| ऋण का समनुदेशन | तीसरी पार्टी (समनुदेशीती) जो उस समय ऋण प्राप्तकर्ता से संग्रहण के माध्यम से ऋण के समाधान के उद्देश्य हेतु खाते का वास्तविक हकदार बन जाता है को क्रेडिटड (नियोजक) से ऋण खाते का विधिक हस्तांतरण। |
| बीआईएफआर | औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड |
| बीपीएलआर | बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट |
| बीओटी | एसएएसएफ का न्यासी बोर्ड |
| सीडीआर | भारतीय रिजर्व बैंक ने निगमों के नियंत्रण से बाहर के कारणों और कुछ आन्तरिक कारणों के कारण वित्तीय कठिनाईयों का सामना करने वाले व्यवहार्य निगम सत्वों के ऋण के एक समयबाधित, पारदर्शी और क्रमिक पुनर्गठन के लिए निगम ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) विकसित किया। सीडीआर तंत्र की तीन स्तरीय संरचना है अर्थात् स्थायी फोरम, कोर गुप और अधिकार प्राप्त समूह। |
| सीओओ | एसएएसएफ के अधिकारियों की समिति |
| डीआरटी | ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) - डीआरटी बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋण की वसूली के प्रावधानों के अधीन है। डीआरटी के पास पूरी तरह सिविल न्यायालयों के जैसे व्यापक आदेश पारित करने की शक्ति है। डीआरटी क्रास मुकदमें की सुनवाई, प्रति दावों और सेट ऑफ अनुमत कर सकता है। तथापि, वह उधारदाताओं की ओर से |

| | |
|-----------------|---|
| | क्षति या सेवाओं की कमी या समझौतों के उल्लंघन या आपराधिक लापरवाही के दावों की सुनवाई नहीं कर सकता। |
| डीआरएटी | ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण |
| ईटी | एसएएसएफ का कार्यकारी ट्रस्टी |
| जीएलओ | एसएएसएफ के संदर्भ में सकल बकाया ऋण, यह आईडीबीआई के वित्तीय विवरणों में प्रावधानों से पूर्व सकल ऋण है। |
| आईडीबीआई | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड |
| आईएफसीआई | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम |
| एनएलओ | एसएएसएफ के संदर्भ में शुद्ध बकाया ऋण, यह आईडीबीआई के वित्तीय विवरणों में किए गए प्रावधानों से घटाकर ऋण है। |
| एनएस | एसएएसएफ के संदर्भ में बातचीत द्वारा समझौता |
| ओटीएस | एसएएसएफ के संदर्भ में, यह एक मुश्त समझौता है। |
| सुलझाए गए मामले | एसएएसएफ के मामले में, यह समझौता परिनिर्धारण तक पहुँच गया किन्तु वसूली का भाग लम्बित है। |
| आरडीडीबीएफ | बैंक और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 |
| घाटा | किसी वस्तु को इसके अनुमानित मूल्य से कम पर देना |
| सरफीजी अधिनियम | वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 |
| एसएएसएफ | स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड - उसके अन्तर्गत देय राशि की वसूली के मद्देनजर स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु भारत द्वारा स्थापित एक न्यास |
| संस्थापक | संस्थापक वह व्यक्ति है जो न्यास की स्थापना करता है। |
| निपटाए गए मामले | एसएएसएफ के संदर्भ में नकद या शेयरों के माध्यम से निपटान। शेयरों की बिक्री या वापस खरीदकर राशि की वसूली को छोड़कर कोई अतिरिक्त वसूली अपेक्षित नहीं हैं। |
| एससी | एसएएसएफ अनुवीक्षण समिति |
| एसएफसी अधिनियम | राज्य वित्त निगम अधिनियम |
| असमाधित मामले | एसएएसएफ के संदर्भ में वह मामले जिनका कोई निपटान नहीं किया गया है। |